न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेरमो (तेनुघाट)।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(क)/(ख)के अंतर्गत

परमिशन वाद सं0 290 वर्ष 2024–25

आवेदक– लखन महतो	क्रेता– राहुल कु0 महतो
ग्राम– मंगरो	ग्राम– मंगरो
थाना– चतरोचट्टी जिला–बोकारो	थाना– चतरोचट्टी जिला–बोकारो

आदेश की क0 सं0 तारीख 01	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ 03

15/4/25

आदेश

यह वाद **आवेदक–लखन महतो पिता–स्व0 झमन महतो मूल एवं वर्तमान निवास ग्राम–मंगरो, पो0+थाना–चतरोचट्टी, जिला–बोकारो** के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)/(ख) के अंतर्गत निम्नाकिंत जमीन, विवरणी निम्नवतः–

मौजा	थाना न0	खाता न0	प्लॉट सं0	कुल रकबा	बिकी रकबा	भूमि दर्जा
मंगरो	**7**	**16**	**155**	**73 डी0**	**10 डी0**	**रैयती टांड तीन**
	7	**16**	**172**	**70 डी0**	**5 डी0**	**रैयती टांड दो**
	7	**16**	**261**	**329 डी0**	**7½ डी0**	**रैयती टांड तीन**
	7	**16**	**273**	**272 डी0**	**7¼ डी0**	**रैयती टांड तीन**
	7	**16**	**343**	**33 डी0**	**7 डी0**	**रैयती टांड तीन**

को वे आवश्यक कार्य हेतु मो 4,40,000/–(चार लाख चालीस हजार) रूपये में **क्रेता–राहुल कुमार महतो पिता–लखन महतो, पता ग्राम–मंगरो, पो0+थाना–चतरोचट्टी, जिला–बोकारो** के साथ बिकी करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यलय के पत्रांक 469/रा0, दिनांक 10.03.2025 के माध्यम से अंचल अधिकारी गोमिया से जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिकी अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी, गोमिया के पत्रांक–616, दिनांक–27.03.2025 से वांछित जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमे उनके द्वारा उल्लेख किया गया हैं किः–

01. बिकेता एंव क्रेता दोनों कुरमी–महतो जाति के सदस्य हैं जो पिछडी जाति के अतंर्गत आते हैं। बिकेता एंव केता दोनों एक जिला–बोकारो के निवासी हैं।
02. बिकी की जाने वाली भूमि का सर्वे खतियान में ठाकुर महतो के नाम से दर्ज हैं तथा सरकारी अभिलेख पंजी–II के पृष्ठ सं0–31, भौलुम सं0–1 पर ठाकुर महतो वगै0 के नाम से जमाबंदी कायम हैं एंव लगान रसीद वित्तीय वर्ष 2024–25 तक निर्गत हैं। जमाबंदी कायम होने का आधार खतियान हैं।
03. खतियानी/जमाबंदीधारी रैयत से बिकेता का संबंध परदादा का है। बिकी की जाने वाली भूमि बिकेता के हक व हिस्से के अतंर्गत आता है एंव बिकेता का दखल कब्जा में हैं।
04. प्रस्तावित भूमि भू–हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, सी0सी0एल0 अधिग्रहित क्षेत्र से बाहर हैं।

उनके द्वारा बिकेता को प्रस्तावित भूमि की बिकी करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया हैं।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता द्वारा अपने ब्यान में बतलाया गया हैं कि आवेदनाकिंत जमीन सर्वे खतियान में ठाकुर महतो के नाम से दर्ज हैं तथा सरकारी अभिलेख पंजी–II के पृष्ठ सं0–31, भौलुम सं0–1 पर ठाकुर महतो वगै0 के नाम से जमाबंदी कायम हैं एंव लगान रसीद वित्तीय वर्ष 2024–25 तक निर्गत हैं। बिकी वाली जमीन उसके

हक हिस्से की हैं जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

क्रेता का कहना है कि उन्होने प्रस्तावित जमीन को देखा है। उक्त जमीन कोई विवाद नहीं हैं, तथा वर्तमान में आवेदक के शांति पूर्ण दखल कब्जे में हैं।

उभय पक्ष अपने पक्ष निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करतें हैः–

01. खतियान– खतियान की छायाप्रति हैं, लगान रसीद का छायाप्रति, आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एंव स्वंय के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

02. क्रेता– आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एंव स्वंय के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

दोनो पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी गोमिया से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेता एंव क्रेता दोनों कुरमी–महतो जाति के सदस्य हैं जो पिछडी जाति के अतंर्गत आते हैं। बिक्रेता एंव क्रेता दोनों एक ही जिलान्तर्गत निवासी हैं। आवेदित भूमि बिकेता के हिस्से की जमीन है, जो खतियानी घरेलु बँटवारा के आधार पर हासिल हैं जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः **आवेदक–लखन महतो पिता–स्व0 झमन महतो मूल एवं वर्तमान निवास ग्राम–मंगरो, पो0+थाना–चतरोचट्टी, जिला–बोकारो** को निम्नांकित भूमिः–

मौजा	खाता न0	प्लॉट सं0	कुल रकबा	बिकी रकबा	उ0 सीमा	द0 सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
मंगरो 7	**16**	**155**	**73 डी0**	**10 डी0**	**रास्ता**	**चुरामन मियां**	**सहजाद मियां**	**अमृत महतो**
		172	**70 डी0**	**5 डी0**	**बालेश्वर महतो**	**चांदो महतो**	**महावीर महतो**	**तिलक महतो**
		261	**329 डी0**	**7½ डी0**	**बहादुर महतो**	**चांदो महतो**	**चांदो महतो**	**बहादुर महतो**
		273	**272 डी0**	**7¼ डी0**	**गिरि महतो**	**सुखदेव महतो**	**कोकिल महतो**	**प्रयाग महतो**
		343	**33 डी0**	**7 डी0**	मेड़	चांद **महतो**	प्रयाग **महतो**	महावीर महतो
			कुल	36¾ डी0 (छतीस पूर्णांक तीन बटा चार डिसमिल जमीन मात्र)				

मो0 4,40,000/–(चार लाख चालीस हजार) रूपये या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से **क्रेता–राहुल कुमार महतो पिता–लखन महतो, पता ग्राम–मंगरो, पो0+थाना–चतरोचट्टी, जिला–बोकारो** के साथ बिकी करने की अनुमति प्रदान की जाती हैं।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती हैं। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एंव संशोधित।

Digitally signed by Mukesh Machhuwa
Date: 2025.08.02 11:43:09 +05:30
Location: 10.93.6.142

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बेरमो (तेनुघाट)।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बेरमो (तेनुघाट)।